केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 252 मंगलवार 7 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

निकली स्कूल चलो अभियान रैली, बीएसए ने बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। बस्ती सदर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय तकिया डारीडीहा मे सोमवार को स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण भी और कक्षा आठ के छात्रो का विदाई समारोह आयोजित किया गया।

बी एस ए अनूप कुमार तिवारी का विद्यालय मे खंड शिछा अधिकारी विनोद कुमार त्रिपाठी एवं विद्यालय प्रभारी अनिता द्विवेदी व विद्यालय स्टाफ ने बुके देकर सदर अभिनन्दन किया।

बी एस ए ने स्कूल में अनुशासन, बेहतर शिछा और सफाई पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। खंड शिछा अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि कंपोजिट विद्यालय तकिया डारीडीहा बेहतरीन स्कूलो मे गिना जाता है और इस शान को बनाए रखना यहां के सभी शिछको का दायित्व है। कछा आठ उत्तीर्ण छात्रो को विदाई देते उनके उज्जवल भविष्य की सभी ने कामना की। अधिक अंक लाने वाले छात्रो को प्रशस्त पत्र व अन्य उपहार प्रदान किया गया। विद्यालय प्रभारी अनिता द्विवेदी ने शैछिक गुणवत्ता बनाए रखने का संकल्प दोहराया। एआरपी रुक्मिणी देवी,शिछिका सुनीता गोस्वामी, गरिमा मिश्रा, शिल्पी पांडेय,रोमी सिंह, नूरीन फातिमा, शिवांगी सिंह, शिछा मित्र सवरिणा चौधरी, प्रतिभा मौर्या, वंदना मिश्रा, अनुदेशक विभा सिंह, स्वाती पांडेय, इसीसी एप्लूकेटर परतीछा शुक्ला का आयोजन मे विशेष योगदान रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम मे अनोखी, सृष्टि, शालिनी, दीपांशी, दीपिका आदि ने मनमोहक प्रस्तुति दिया।

ब्लेकमेलिंग से आहत युवती ने आत्महत्या किया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने दुष्कर्म के प्रयास और ब्लेकमेलिंग से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना 3 अप्रैल की शाम को हुई थी, जिसकी सूचना 5 अप्रैल को पुलिस को मिली। आरोप है कि आरोपी युवक ने युवती को घर पर अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं।

इसके बाद आरोपी ने इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लेकमेल करना शुरू कर दिया। इस घटना से मानसिक रूप से परेशान युवती ने अपने घर की छत पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- अमरजीत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कार्यकारिणी बैठक आयोजित हुई। न्यायाधीश उपभोक्ता परिषद अमरजीत वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, जागरूकता और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने उपभोक्ता जागरूकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर तौल, गुणवत्ता और मानकों से संबंधित बोर्ड,पोस्टर लगाकर जागरूक कर सकते हैं।

बाप–बेटे की हिरासत में मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को सजा–ए–मौत

मदुरै (आभा)। तमिलनाडु में मदुरै जिले की अदालत ने बाप–बेटे की कस्टोडियल डेथ के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 6 साल पहले हुआ, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। राज्य में थूथुकुड़ी जिले के सतनकुलम पुलिस स्टेशन में 2020 में एक दुखद घटना घटी। मोबाइल शॉप चलाने वाले 59 वर्षीय पी. जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे जे. बेनिक्स को कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 19 जून को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उन्होंने दुकान तय समय से ज्यादा देर तक खुली रखी, लेकिन बाद में यह आरोप झूठा साबित हुआ। पुलिस ने उन्हें सतनकुलम थाने में ले जाकर पूछताछ के नाम पर रात भर बुरी तरह प्रताड़ित किया। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि दोनों को लाठियों से पीटा गया, जिससे उनमें गंभीर चोटें आईं।

एक महिला कांस्टेबल की गवाही में थाने की मेज और लाठियों पर खून के धब्बे मिलने की बात सामने आई। दोनों को बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन चोटों की वजह से कुछ दिनों के अंदर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में पुलिस अत्याचार को लेकर भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। मामले की जांच शुरू में राज्य की सीआईडी को सौंपी गई, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर बाद में इसकी जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक इंस्पेक्टर, दो सब–इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल शामिल थे।

आरोपियों पर हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का मामला भी सामने आया, जिससे सच्चाई छिपाने की कोशिश का संकेत मिला। एक आरोपी सब–इंस्पेक्टर जांच के दौरान कोविड से मर गया। 6 साल बाद 2026 में मदुरै की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी की। मार्च 2026 में सभी 9 पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी ठहराया गया।

अदालत ने पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि बार–बार हुई मारपीट से हुई। 6 अप्रैल 2026 को मदुरै की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसवालों को मौत की सजा सुनाई। इनमें इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब–इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस. मुरुगन, ए. सामीदुरई और कांस्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुरई, एक्स. थॉमस फ्रांसिस और एस. वेलुमुथु शामिल हैं।

सीबीआई और पीड़ित परिवार की ओर से मौत की सजा की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले को पुलिस ब्रूटैलिटी का गंभीर उदाहरण मानते हुए सख्त सजा दी। इस फैसले से देशभर में कस्टोडियल मौतों पर चर्चा छिड़ गई है। कई संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे दुर्लभ न्याय बताया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिसवालों को सजा मिलना मुश्किल होता है।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में दो गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । जनपद पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना नगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से नौ पासपोर्ट, 10 वीजा की छाया प्रति और पांच हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जहांगीर अंसारी (39) और आजाद अंसारी (43) के रूप में हुई है। ये दोनों पश्चिमी चंपारण, बिहार के बगहा स्थित अंसारी टोला के निवासी हैं। उन्हें सोमवार सुबह अक्सड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी घनी आबादी वाले इलाकों में किराए पर कमरा लेकर फर्जी कार्यालय चलाते थे। वे विदेश भेजने का झांसा देने के लिए पंपलेट छपवाते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। प्रत्येक व्यक्ति से पासपोर्ट और लगभग ढेढ़ लाख रुपये वसूलते थे। पर्याप्त संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें फर्जी वीजा के साथ दिल्ली भेजा जाता था। दिल्ली में जांच के दौरान वीजा फर्जी पाए जाने पर लोगों को वापस भेज दिया जाता था। इसी बीच, आरोपी उनके पासपोर्ट लेकर फरार हो जाते थे।

अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कांत ने बताया कि यह एक संगठित ठगी गिरोह है, जो भोले–भाले लोगों को विदेश भेजने का लालच देकर उनका आर्थिक शोषण करता था। पुलिस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है और गिरोह से जुड़े नेटवर्क की भी गहनता से जांच की जा रही है।

ईरान के गैस क्षेत्र में बड़ा हमला

तेहरान (आभा)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉर्निंग से पहले ईरान में बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के साउथ पार्स नैचुरल गैस फील्ड में ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की अर्ध–सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी और मिजान न्यूज एजेंसी, दोनों ने इस हमले की रिपोर्ट दी है। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराया गया। हालांकि किसी भी देश ने तुरंत ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत के असलुयेह में गैस क्षेत्र पर किसी हमले का दावा नहीं किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते बिजली संयंत्रों और पुलों पर संभावित हमले हो सकते हैं।

दबंगों ने गिरा दिया बाउन्ड्रीवाल एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। छावनी थाना क्षेत्र के सुहगिया शंकरपुर निवासी शिवपूजन पुत्र रामनाथ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर आबादी की भूमि में जबरिया कब्जा करने की कोशिश और बाउन्ड्रीवाल गिरा देने, उसकी पत्नी संजू को मारने पीटने, छावनी के दारोगा द्वारा दबाव बनाकर मनमाना एफआईआर दर्ज करने के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

सोमवार को एसपी को दिये पत्र में शिवपूजन ने कहा है कि गत 4 अप्रैल को गांव के ही रूष्मा पत्नी हरिविजय, राम प्रसाद पुत्र रामदास उनकी आबादी की भूमि में जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने लगे। उनकी पत्नी संजू ने जब विरोध किया तो उन लोगों ने उसे मारा पीटा। शिवपूजन ने जब इसकी सूचना थाने पर दिया तो पुलिस ने न्याय दिलाने की जगह उसे भगा दिया। उसी दिन शाम को उक्त लोग धारदार हथियार लेकर घर पर चढ आये और उसके पुत्र लगभग 11 वर्षीय अभिषेक को मारा पीटा। वह फिर थाने पहुंचा किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 अप्रैल को उक्त लोगों ने उसकी बाउन्ड्रीवाल को गिरा दिया जिसका वीडियो उपलब्ध है। पुलिस ने शिवपूजन के तहरीर की जगह अपने तरीके से हल्के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्त हरिविजय को मुल्जिम बना दिया जो यहां रहते ही नहीं है। शिवपूजन ने वीडियो के आधार पर नये सिरे से मुकदमा पंजीकृत कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अपनी जमीन को बचाने की गुहार एसपी से लगाया है।

परिश्रम से निखरती है छात्रों की प्रतिभा–बड़कऊ वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रामनगर में कक्षा आठ पास बालिकाओं का विदाई समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर बड़कऊ वर्मा और विशिष्ट अतिथि एआरपी राहुल उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए बच्चों से कहा कि आपके अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है आप लोग खूब मेहनत कीजिए अपनी प्रतिभा को निखारिए और आगे बढ़िए। उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दिया। विद्यालय की वार्डेन कंचन सिंह ने भावुक होते हुए बच्चों को शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। विद्यालय की बच्चियां संस्कृति,अनीता, चंदा, अनुष्का, कौशल्या, प्रतिमा, कमलावती, महक आकांक्षा, बंदना, रोमा, छाया, नेहा, सोनम आदि ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका नीरज, पूजा, गुड़िया रानी, मिथिलेश, शशिलता, महेंद्र कुमार, राजू उपाध्याय, दिलीप कुमार, निहारिका सिंह, प्रतिमा सिंह, रेनू वर्मा आदि की उपस्थिति रहीं।

सफाई कर्मियों ने किया शहरी मकान किराया भत्ता दिलाये जाने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। विकास खण्ड बस्ती सदर के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों ने शहरी मकान किराया भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा । सफाईकर्मी बलराम यादव, सूरज गौड़, शशिकांत, वंश बहादुर, शिवा कुमार, अजय, सुरेन्द्र कुमार और सुनील कुमार पत्र देने के बाद कहा कि वे सभी नगरपालिका क्षेत्र से 8 किलोमीटर के भीतर विभिन्न राजस्व गांवों में तैनात हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मात्र 980 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि शासनादेश के अनुसार उन्हें शहरी मकान किराया भत्ता 1470 रुपये मिलना चाहिए। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से 22 अगस्त 2025 को सूची भी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।प्रार्थना पत्र में कर्मियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या 4309/2026, दिनांक 30 मार्च 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उन्हें नियमानुसार शहरी मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए। कर्मियों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए बकाया सहित शहरी दर से मकान किराया भत्ता दिलाने की मांग की है।

बस्ती का 161 वां स्थापना दिवस 6 को: तैयारियां शुरू: होंगे विविध आयोजन– राना दिनेश प्रताप सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। बस्ती जिले के 161 वें स्थापना दिवस पर वशिष्ठ महोत्सव मनाया जाएगा। आगामी 5, 6 और 7 मई को खेल,गोष्ठी ,सांस्कृतिक संध्या सहित अनेक आयोजन होंगे। समारोह को गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उक्त जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राना दिनेश प्रताप सिंह ने जारी एक बयान में दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 मई को बस्ती जनपद की स्थापना के ऐतिहासिक अवसर पर तीन दिवसीय इस भव्य समारोह में प्रदेश के अनेक दिग्गज गायक और कलाकार सम्मिलित होंगे। खो खो सीनियर वर्ग के बालक बालिका की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता करायी जाएगी। जिला स्तर की सीनियर बालक बालिका हैंडबॉल, वालीबाल, कबड्डी और दौड़ सहित अनेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। सभी कार्यक्रम अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि महर्षि वशिष्ठ जी के पावन भूमि की पुनर्प्रतिष्ठा के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बस्ती जिले के पौराणिक नाम वशिष्ठि के अनुसार अब वशिष्ठ नगर नामकरण महाअभियान तेज किया जाएगा। श्री राना ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी अपने त्रेता युगीन आश्रम स्थित दिव्य, भव्य मन्दिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। विश्व में पहली बार वशिष्ठ रामायण कथा के आयोजन का इतिहास भी इस पुण्य भूमि से जुड़ गया है। मखौड़ा धाम, श्रृंगीनारी, गुरु तीर्थ वशिष्ठ धाम, हनुमान बाग चकोही, श्रीराम जानकी मार्ग, देवरहा बाबा की यह पुण्य धरा सनातन धर्म की शिखर पताका है जिसके स्वर्णिम इतिहास सर्व विदित है।

सादगी, संगठनात्मक संकल्प के साथ मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवसः फहराया पार्टी का झण्डा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जिला कार्यालय पर सादगी, अनुशासन और संगठनात्मक उत्साह के साथ मनाया गया। जिले के सभी 2312 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पार्चन कर अपने–अपने घरों पर पार्टी का झण्डा फहराया, जिससे स्थापना दिवस का उत्साह पूरे जिले में देखने को मिला।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी, वरिष्ठ नेता यशकांत सिंह, क्षेत्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी, महामंत्री अमृत कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार तथा कार्यक्रम संयोजक दिलीप पाण्डेय ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रेम प्रकाश चौधरी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा आधारित संगठन है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमें समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।" उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का इतिहास त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य करें।

पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने कहा कि संगठन की शक्ति उसके कार्यकर्ताओं में निहित होती है। जब सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब संगठन निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम स्थापित करता है।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रत्यूष विक्रम सिंह, भानु प्रकाश मिश्र, अखण्ड प्रताप सिंह, वीरेंद्र गौतम, शालिनी मिश्रा, शिवानी सिंह, नीलम गौंड़, प्रदीप निषाद, सुधाकर पाण्डेय 'नीरज', विनय सिंह भरद्वाज, राधेश्याम कमलापुरी, अजय पाल सिंह, नीरज त्रिपाठी, रवि कुमार तिवारी, प्रमोद चौधरी गिल्लम, जटाशंकर शुक्ला, रोली सिंह, सुनील अरविंद सिंह, सुनील त्रिपाठी, शिवचरण जायसवाल, विशुद्धानंद त्रिपाठी, लवकुश शुक्ल, संध्या दीक्षित, निर्मला श्रीवास्तव, राजन ठाकुर, अंकित पाण्डेय, संजय चौरसिया, सुरेश भट्ट, वेद प्रकाश तिवारी, जमुना पांडे, मनोज पाठक, अश्विनी श्रीवास्तव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते- चन्द्र प्रकाश शुक्ला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। सोमवार को विकास क्षेत्र परशुरामपुर के बीआरसी परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि कप्तानगंज के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि परसरामपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पाण्डेय रहे। शिक्षक सम्मान समारोह में नौ शिक्षक और तीन शिक्षामित्र शामिल रहे। सेवानिवृत्त लाल कमलेश्वर पाण्डेय, नसीरुद्दीन, तुलसीराम वर्मा रामविलास पाण्डेय, श्रीमती कमलेश पाण्डेय, , रमापति तिवारी सुभाष चंद्र मौर्य मिथिलेश सिंह भीमसेन सिंह शिक्षामित्र राम अभिलाष पारसनाथ सैनी, राम मोहन पाल को सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला कहा कि शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शन होते हैं ये कभी सेवानिवृत नहीं होते । अब इनका दायित्व और बढ़ गया है । विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पाण्डेय ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल कहा कि ये सभी विभाग की सेवा से निवृत्त हुए हैं यह शिक्षक अब यह अपने कनिष्ठ साथियों को बराबर मार्गदर्शन करते रहेंगे । उन्होंने कहा कि टेट अनिवार्यता के विरुद्ध 13 अप्रैल को प्रेस क्लब में बैठक के पश्चात मशाल जुलूस निकाले जाने का देशव्यापी कार्यक्रम है सभी शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हो। जिला अध्यक्ष ने कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र द्विवेदी को पूर्णकालिक ब्लॉक अध्यक्ष घोषित करते हुए कहा की श्री दुबे की अध्यक्षता की कमेटी संगठन के सभी कार्यक्रम को संचालित कर शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण करएगी । वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनन्द दुबे ने कहा कि टेट के साथ ही शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिये संघर्ष जारी रहेगा।

इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनन्द दुबे, दिवाकर सिंह, त्रिलोकी नाथ, विनोद यादव, गंगा प्रसाद कनौजिया, राजेश कुमार, सुनील पाण्डेय, राजीव कुमार पाण्डेय, दिनेश कुमार वर्मा, विजय कनौजिया वरीद्रनाथ गौरव कुमार वैभव लालेंद्र अर्जुन भारती अभिराम अरविंद पाण्डेय, राजेंद्र श्रीवास्तव जितेंद्र पाण्डेय, रिचा शुक्ला, सुखराज गुप्ता, संतोष पाण्डेय, अश्वनी सिंह, देवेंद्र तिवारी, विनय मिश्रा, अखिलेश तिवारी, पंच बहादुर यादव, प्रतिभा देवी, गीता शुक्ला शालिनी उपाध्याय शोभावती, शारदा देवी, रेणु देवी मीरा आदि शामिल रहीं।

-शिक्षक सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिया विदाई
-शिक्षकों के अधिकारों के लिये जारी रहेगा संघर्ष- उदयशंकर शुक्ल

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 7 अप्रैल 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

मंहगा होता सफर

देशभर में महंगाई में बढ़ोतरी के बीच अब लोगों के लिए कहीं आना–जाना भी महंगा साबित होने लगा है। दरअसल, वैश्विक परिस्थितियों की वजह से पहले ही संकट का दायरा फैल रहा है और चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बीच हरियाणा में राजमार्गों पर टोल दरों में बेतहाशा वृद्धि की घोषणा आम लोगों के सामने एक नई परेशानी पैदा करने वाली है। इसके अमल में आने के साथ ही निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। यह हाल तब है, जबकि अधिकतर राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, आए दिन लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मसलन, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस–वे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकल यात्रा के लिए 225 रुपए देना यात्रियों के लिए भारी साबित हो सकता है। दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों से वसूली का असर भी दिखेगा और आखिरकार आम आदमी पर ही इसकी मार पड़ेगी। सवाल है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए बिना टोल दरों में वृद्धि की क्या तुक है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजमार्गों पर यात्रा महंगी किए जाने से लोगों में निराशा बढ़ेगी।

इस समय ज्यादातर राजमार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। वहीं रास्ते में साफ–सुथरे जन–सुविधा परिसरों का अभाव खटकता है। रात में कई मार्गों पर अंधेरा होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजमार्ग प्राधिकरण के गश्ती दल तुरंत मौके पर नहीं पहुंचते। इससे लोग असहाय स्थिति में होते हैं। कई बार हादसे के बाद फिर हादसा होना यह बताता है कि प्राधिकरण को टोल की तो चिंता है, लेकिन यात्रियों की जान की नहीं। अक्सर देखा गया है कि टोल नाकों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे न केवल समय की, बल्कि ईंधन की भी बर्बादी होती है। हालांकि हरियाणा में टोल पर अब केवल फास्टैग या आनलाइन भुगतान ही किया जा सकेगा। ऐसे में संभव है कि वाहनों की कतार कुछ कम हो। फिर भी राजमार्गों पर सुविधाएं बढ़ाए बिना टोल शुल्क बढ़ाना यात्रियों पर नाहक ही बोझ डालने जैसा है।

ट्रम्प की मनमानी

अमेरिका ने एक साहसिक कार्रवाई में ईरान में मार गिराए गए अपने विमान के पायलट को बचाकर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, पर इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के रवैये को देखते हुए यही लगता है कि यह युद्ध जारी रहेगा। यदि ऐसा होता है तो पहले से ही दुनिया के लिए समस्या बना ऊर्जा संकट और अधिक गंभीर रूप ले सकता है।

इस ऊर्जा संकट का कारण समुद्री मार्ग होर्मुज का बाधित होना और साथ ही ईरान की ओर से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत वहां के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना भी है। बाधित होर्मुज विश्व के साथ–साथ अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज मार्ग खुलवाने के लिए अपने दावे के अनुसार ईरान पर भीषण हमले करते हैं तो भी यह कहना कठिन है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाएंगे।

ऐसे आसार इसलिए नहीं दिखते, क्योंकि ईरान अनुमान से अधिक घातक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उसने अपनी मारक क्षमता से अमेरिका को चौंकाया ही है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलने के पहले उसकी सैन्य क्षमता का सही तरह आकलन नहीं किया। यदि अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देता तो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को वेनेजुएला समझा और अपने अहंकार के चलते बिना कुछ ज्यादा सोचे–विचारे उस पर हमला बोल दिया।

ट्रंप कुछ भी दावा करें, ईरान में न तो सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है और न ही यह कहा जा सकता है कि परमाणु हथियार निर्माण की उसकी क्षमता पूरी तौर पर नष्ट हो गई है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, जिन्होंने मनमाने तरीके से किसी अन्य राष्ट्र में सैन्य हस्तक्षेप किया हो, लेकिन इतना अवश्य है कि वे कुछ ज्यादा ही मनमानी का परिचय दे रहे हैं। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का आवश्यकता से अधिक अधिकारसंपन्न और एक तरह से निरंकुश होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति की निरंकुशता लोकतंत्र में एक असंतुलनकारी व्यवस्था ही है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के विपरीत है। ट्रंप का रवैया शायद ही बदले, लेकिन अमेरिका के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है कि अपार शक्तियों से लैस अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे पूरी दुनिया के समक्ष संकट खड़ा कर देता है।यह ठीक है कि लोकतंत्र होने के नाते आगामी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, लेकिन फिलहाल तो उनके मनमाने एजेंडे पर कोई रोक लगती नहीं दिख रही है।

युद्ध का दुष्प्रभाव और पलायन की विवशता

—ज्योति मल्होत्रा—

यदि ईरान व अमेरिका–इस्राइल युद्ध लंबा चला तो आयातित तेल व उर्वरक और महंगे होंगे। वहीं जीडीपी अनुमानों में बदलाव के संकेत भी आर्थिकी पर असर डाल सकते हैं। प्रवासियों को मुश्किलों से उबरने में मदद चाहिये। फिलहाल रसोई गैस की समस्या से प्रवासी अपने गांव लौट रहे हैं। पहले उन्हें वहीं ठहरने को आश्वस्त करें, जिसे वे घर कहते हैं।

ऐसे में जब भारत पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुए तेल–गैस संकट से निबटने में लगा है, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गयी है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां भी प्रवासियों की बड़ी आबादी है, 5 किलो वाले छोटे रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता में कमी के कारण वे उत्तर प्रदेश और बिहार के अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो रहे हैं। हालात हर्गिज वैसे नहीं जैसे मार्च 2020 में थे, जब देश में कोविड महामारी फैली थी और रातोंरात लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। गत सप्ताह, 'द ट्रिब्यून' के पत्रकारों – दीपकमल कौर, नीरज बग्गा और शिवानी भाकू – ने पाया कि वैसे तो हर साल बैसाखी के आसपास प्रवासी हमेशा से जाते रहे हैं, जब रबी फसल की कटाई हो चुकी होती है, मजदूरी मिल चुकी होती है और मालिक आने वाले नए साल की खुशी से सराबोर होते हैं– वहीं एक बार फिर से क्षितिज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चिंतातुर प्रवासी जो आशंका जता रहे हैं, वह हो भी सकता है, कह रहे हैं कि यदि हो गया तब होगा। निश्चित तौर पर यह युद्ध भारत व दुनिया को अपनी बेहतरीन योजनाओं पर फिर विचार करने को मजबूर कर रहा है।

देश के भीतर, मोदी सरकार रुपये की गिरती कीमत को थामकर रखने को प्रयासरत है– एक महीने पहले, 28 फरवरी को अली खामेनेई की हत्या के साथ संकट शुरू होने से पहले, भाव 90 रुपये प्रति डॉलर पर था, और पिछले हफ्ते इसने 95 रुपये प्रति डॉलर की मनोवैज्ञानिक सीमा भी पार ली थी, जिसके बाद आंशिक वापसी भी की। तेल का दाम बढ़ने को फिलहाल थाम रखा है– भारत अपनी खपत का कम से कम 80 प्रतिशत तेल आयात करता है– लेकिन उर्वरक की कीमतें अभी से बढ़ने लगी हैं। तेल की भांतिदृ जिसकी खपत का पांचवां हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है –दुनियाभर में पहुंचने वाले अमोनिया और यूरिया का 25–30 प्रतिशत इस संकरे जलडमरू से होकर गुजरता है और ये दोनों उर्वरक बनाने में मुख्य घटक हैं, और खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली नैचुरल गैस का 20 प्रतिशत भी इसी रास्ते से आता है।

ईरान यूरिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है (यह एक आम नाइट्रोजन उर्वरक है)ये ईरानी हमलों के बाद कतर ने अपने गैस संयंत्र बंद कर दिए – वह दुनिया के 14 फीसदी यूरिया की आपूर्ति करता है। भारत दुनिया में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब आपको पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर ईरान युद्ध जारी रहता है व खाद बनाने वाले घटकों की सप्लाई में रुकावट आती है– दुनिया के अन्न उत्पादन का करीब आधा हिस्सा सिंथेटिक नाइट्रोजन खाद पर निर्भर है– तो गरीब और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे।

इस बीच, जैसे–जैसे यूरोप ट्रंप से तंग आ रहा है– फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी बातों पर सरेआम नाराजगी व्यक्त की है यि एक तरफ वे युद्ध रोकने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर चेतावनी कि अमेरिकी सेना इस पुरानी फारसी सभ्यता को घुटनों पर लाने के लिए ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे, जैसे पुल, बिजली लाइनों आदि को निशाना बनाएगी– शक्ति संतुलन के बदलने के आरंभिक संकेत शायद अब मिलने लगे हैं।

कुछ दिनों से होर्मुज जलडमरू मध्य पर जहाजों से टोल टैक्स युआन में वसूलना शुरू हो चुका है। गत शुक्रवार, भारत के लिए तेल ले जा रहा एक जहाज रास्ता बदलकर अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। सामान्य कामकाज में बन जाने वाली असहजता अजीब बात नहीं– आखिर युद्ध जारी है और भारत भी उससे अछूता नहीं– इस माह कई राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गहमागहमी छायी है। नतीजन, भारत के राज्यों का सियासी नक्शा इस चुनाव या अगले साल होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों के बाद बदल भी सकता है और नहीं भी– लेकिन, सत्ताधारी भाजपा को निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं। प्रधानमंत्री हमेशा वाले अपने जोश के साथ देश के एक कोने से दूसरे में जा रहे हैंय जहां असम में वे चाय बागान में महिला मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ते नजर आए वहीं इससे कुछ दिन पूर्व, और बाद में, पुडुचेरी, तमिलनाडु व केरल में रैलियों को संबोधित किया।

शायद युद्ध की वजह से पैदा हुई बेचैनी पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी स्थित एक थिंक टैंक, पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स' की एक रिपोर्ट से और भी बढ़ गई। इस थिंक टैंक की अगुवाई अरविंद सुब्रमण्यन कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस वर्किंग पेपर में 'भारत के जीडीपी आकलनों में पिछले 20 साल से हो रही गलतियों' के नए सबूत पेश किए गए हैं। अर्थशास्त्री के तर्क का मुख्य बिंदु है कि 2005 से 2011 के बीच के 'तेजी के सालों में– भारत ने शायद कभी अपनी आर्थिक विकास दर 1–1.5 फीसदी अंक कम करके आंकी थी, जबकि 2012–2023 के बीच अपनी आर्थिक विकास दर को 1–1.5 प्रतिशत अंक ज्यादा करके आंका है। रोचक यह कि जिस आधे दशक में दर कम करके आंकी गई, वह मनमोहन सिंह के कार्यकाल से मेल खाता हैय जब पूर्व प्रधानमंत्री ने आर्थिक तरक्की पाने में 'एनिमल स्पिरिट्स' (सहज आशावाद) जगाने का आह्वान किया व एक महत्वाकांक्षी भारत का निर्माण किया। जबकि, मोदी का शासन काल वह दशक है जिसमें आर्थिक वृद्धि को बढ़ाकर आंका गया, इस कालखंड की मुख्य पहचान नोटबंदी, जीएसटी की शुरुआत और कोविड महामारी से है–जाहिर है, इनमें महामारी उनकी गलती नहीं थी।

सुब्रमण्यन के अनुसार, जीडीपी का आकलन बढ़ाकर करने का एक कारण यह है कि भारत ने 2011–12 से जीडीपी मापने के लिए डेटा समेत अपने स्रोत और आकलन विधि बदल दिए हैं। साल 2011–12 से 2016–17 तक के सरकारी अनुमानों के अनुसार औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 6.5–7 प्रतिशत थी, लेकिन असल में यह 4. 5 प्रतिशत रही होगी। वहीं 2005–2011 की अवधि में, जब जीडीपी का अनुमान 7 प्रतिशत था, जबकि वास्तव में यह 8–8.5 प्रतिशत रही होगी।

सुब्रमण्यन आगे कहते हैं कि बढ़ाकर दिखाया गया जीडीपी अनुमान कुछ हद तक मापने की विधि में बदलाव से जुड़ा है, जब अर्थव्यवस्था में छोटा सा अंश रखने वाले औपचारिक क्षेत्र को विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का नमूना प्रतिनिधि ा (प्रॉक्सी) मानकर गणना की गई– कुछ लोगों का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा सकल अर्थव्यवस्था के 94 प्रतिशत जितना तक बड़ा है। उनका कहना है कि इस नए सबूत का असर मौजूदा अर्थव्यवस्था पर होगा, जीडीपी पर और उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर भी।

फिर भी, राजनीतिक स्थिरता की धारणा एक अजीब चीज है। बहुत साल पहले, 1991 में, जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना प्रथम बजट पेश किया , उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई थी, तब उन्होंने विक्टर ह्यूगो का हवाला देते हुए कहा था: 'धरती पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया हो'। 2014 में, उनके नेतृत्व में प्राप्त जबरदस्त आर्थिक वृद्धि के बावजूद,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पार्टी मोदी की भाजपा से सत्ता हार गई– उस वक्त निष्ठुरता एवं शोर–शराबा और यह उम्मीद हावी थी कि मोदी सरकार देश में कुछ स्थिरता लाएगी।

एक बार फिर वही समय है। अगर सुब्रमण्यन की मानें तो– और अब तक किसी ने भी उनके वर्किंग पेपर का खंडन नहीं किया– तो विकास के मौजूदा सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी है। इस मिश्रण में यदि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण दुनियाभर में बनी अस्थिरता भी जोड़ लें– और अगर यह युद्ध जारी रहता है, तो न केवल तेल व उर्वरक की कीमतों पर बल्कि भारतमर पर इसका असर पड़ सकता है।

निश्चित ही ये समस्याएं भारत द्वारा पैदा नहीं की गयीं। तथ्य यही है कि भारतीयों को इन मुश्किलों से उबरने को मदद की जरूरत है। बतौर शुरुआत, आइए हम प्रवासियों को उसी जगह बने रहने को आश्वस्त रखें, जिसको वे अपना घर कहते हैं।

—लेखिका 'द ट्रिब्यून' की प्रधान संपादक हैं।

आम आदमी पार्टी अपनों के हाशिये पर क्यों ?

—सौरभ वार्ष्णेय—

आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक नई उम्मीद जगाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी पारदर्शिता, ईमानदारी और जनभागीदारी के वादों के साथ आजादी वाले तेवर के साथ नायक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली–पानी जैसे मुख्य मुद्दों पर उल्लेखनीय काम कर लोगों का विश्वास जीता। लेकिन समय के साथ कई ऐसे कारण सामने आए हैं, जिनसे जनता के एक वर्ग में आप पार्टी मोहभंग की स्थिति बनी है। शुरुआत में 'आप्प ने 'नई राजनीतिय का दावा किया था, लेकिन समय के साथ वही परंपरागत राजनीतिक रणनीतियां अपनाने के आरोप लगे। दल–बदल, राजनीतिक समझौते और सत्ता बनाए रखने की प्राथमिकता ने इसके मूल आदर्शों पर सवाल खड़े किए। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से शुरुआत की, उसी पर अब विभिन्न घोटालों के आरोप लगे हैं। खासकर दिल्ली की शराब नीति को लेकर उठे विवाद ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। इससे जनता के बीच भरोसे में कमी आई है। समय–समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बाहर होना या निष्कासन, जैसे कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का अलग होना, संगठन के भीतर असहमति और केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। धीरे –धीरे यह नई उम्मीद वाली पार्टी अपनों के हाशिये पर क्यों हैं यह चिंतन का विषय है।

दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और उसके युवा चेहरे राज्यसभा राघव चड्ढा के बीच उभरे विवाद ने फिर एक बार पुरानी बोतल में नई शराब वाली स्थिति व इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति और पार्टी के बीच मतभेद का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों में अनुशासन, पारदर्शिता और नेतृत्व शैली की भी परीक्षा है। इसका जीता जागता उदाहरण पहले भी सामने आए हैं जिनमें प्रसिद्ध कवि

कुमार विश्वास सहित अन्य चेहरे अलग हो गए। कुमार आप पार्टी के वह नेता थे जो अरविंद केजरीवाल के साथ उस दौर से थे जब उन्होंने अपनी नौकरी सहित सब कुछ दांव पर लगाकर साथ दिया था। उनके बाद आम आदमी पार्टी में कई दौर ऐसे आ चुके हैं जिनमें अन्य कदावर नेतागण योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, आशुतोष, कपिल मिश्रा, अलका लांबा, कैलाश गहलोत, मयंक गांधी, अंजलि दमानिया, सुभाष वारे, आनंद कुमार सहित अन्य नाम भी साथ छोड़ चुके हैं व स्वाति मालीवाल आम आमदी पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब एक नाम और शामिल हो रहा है वह हैं राघव चड्ढा, जो कि प्रमुख युवा नेताओं में गिने जाते हैं, कम समय में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच खिंचाव की स्थिति को उजागर मनभेद को उजागर किया है। आरोप–प्रत्यारोप, निर्णय प्रक्रिया में मतभेद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाकृये सभी तत्व इस विवाद को जटिल बनाते हैं।

राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से बड़े होते हैं। आप ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व और पारदर्शिता की बात की है। ऐसे में यदि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से अलग रुख अपनाता है, तो यह संगठनात्मक अनुशासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। दूसरी ओर, लोकतंत्र में व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।आप ने खुद को एक वैकल्पिक और स्वच्छ राजनीति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। इस तरह के विवाद पार्टी की उस छवि को धक्का पहुंचा सकते हैं। विपक्ष के लिए यह एक अवसर बन जाता है कि वह पार्टी की आंतरिक एकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। यह विवाद आप नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती भी हैकृकैसे वे असहमति को संभालते हैं। क्या पार्टी संवाद के जरिए समाधान निकालती है या अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता अपनाती है, इससे भविष्य की राजनीति तय होगी।

आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच का यह टकराव भारतीय राजनीति के उस व्यापक सच को सामने लाता है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अनुशासन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। यदि इसे समझदारी और संवाद से सुलझाया गया, तो यह पार्टी को और मजबूत बना सकता हैय लेकिन अगर विवाद बढ़ता है, तो इसका असर न केवल पार्टी बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी पड़ेगा।

आप पर यह आरोप भी लगता रहा है कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति कुछ लोगों तक सीमित होती जा रही है। इससे 'सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा कमजोर पड़ी है।हालांकि दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में विस्तार के दौरान आप को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पंजाब में सत्ता मिलने के बावजूद चुनौतियां बरकरार हैं, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ा है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता

—ललित गर्ग —

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे–जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे–वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक

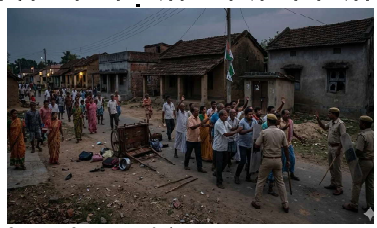

हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय–समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय–समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ़ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

इसे भी पढ़ेंरू क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जमीनी रणनीति से ममता बनर्जी पुनः मारेंगी बाजी?नागरिक समाज सक्रिय रुप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत प्रतापपुर वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **प्रतापपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **प्रतापपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **प्रतापपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **प्रतापपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **प्रतापपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता/ कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पिंकी सिंह) प्रधान, ग्राम पंचायत–**प्रतापपुर**
(सर्वेश यादव) सचिव, ग्राम पंचायत–**प्रतापपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत रेंगी वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रेंगी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **रेंगी** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **रेंगी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **रेंगी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रेंगी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(तीजू) प्रधान, ग्राम पंचायत–**रेंगी**
(विनोद कुमार) सचिव, ग्राम पंचायत–**रेंगी**

कार्यालय ग्राम पंचायत ककरहिया वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **ककरहिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **ककरहिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **ककरहिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **ककरहिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **ककरहिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(चन्द्रभान) प्रधान, ग्राम पंचायत–**ककरहिया**
(रिंगभान चौधरी) सचिव, ग्राम पंचायत–**ककरहिया**

कार्यालय ग्राम पंचायत–हसुड़ी औसानपुर वि0ख0 -भनवापुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हसुड़ी औसानपुर** विकास खण्ड नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/वीबी–जीरामजी/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2026–27 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 21–04–2026 को अपरान्ह 01.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **हसुड़ी औसानपुर** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 21.04.2026 को 01:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **हसुड़ी औसानपुर** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **हसुड़ी औसानपुर** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–दिलीप कुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत–**हसुड़ी औसानपुर**, विकास खण्ड–**भनवापुर**, जनपद –सिद्धार्थनगर
सचिव–प्रभाकर सोनी, ग्राम पंचायत–**हसुड़ी औसानपुर**, विकास खण्ड–**भनवापुर**, जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत नरायनपुर वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **नरायनपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **नरायनपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **नरायनपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **नरायनपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **नरायनपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता/ कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रणजीत सिंह) प्रधान, ग्राम पंचायत–**नरायनपुर**
(सर्वेश यादव) सचिव, ग्राम पंचायत–**नरायनपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरा खास वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिपरा खास** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पिपरा खास** के निविदा बाक्स में दिनांक 11–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 10–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पिपरा खास** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पिपरा खास** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिपरा खास** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता/ कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(हाकिम सिंह) प्रधान, ग्राम पंचायत–**पिपरा खास**
(सर्वेश यादव) सचिव, ग्राम पंचायत–**पिपरा खास**

कार्यालय ग्राम पंचायत भिउरा वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भिउरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **भिउरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **भिउरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **भिउरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भिउरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(इन्द्रावती) प्रधान, ग्राम पंचायत–**भिउरा**
(चन्द्रशेखर) सचिव, ग्राम पंचायत–**भिउरा**

कार्यालय ग्राम पंचायत नकहा वि.खं. रूधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **नकहा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **नकहा** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **नकहा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **नकहा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **नकहा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(लतीफ अहमद) प्रधान, ग्राम पंचायत–**नकहा**
(विनय कुमार जायसवाल) सचिव, ग्राम पंचायत–**नकहा**

सीएम योगी का संदेशः पत्रकारिता पर संयम जरूरी, कहा– जनमानस को विचलित करती है एक ही खबर में भिन्नता

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पत्रकारिता के विभिन्न आयामों प्रिंट, विजुअल, डिजिटल व सोशल मीडिया के बीच परस्पर समन्वय होना आवश्यक है। यदि किसी एक ही तथ्य को मीडिया के अलग–अलग आयाम भिन्न–भिन्न तरीके व दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे तो आम जन–मानस के सामने कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति मीडिया के प्रति जन–विश्वास को भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मीडिया के सभी अंग समान मानक, मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ें।

सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सिविल लाइंस स्थित गोरखपुर क्लब सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पत्रकारिता में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं।

प्रिंट, विजुअल, डिजिटल व सोशल मीडिया के तौर पर पत्रकारिता के कई स्वरूप हैं। परिवारों में भी प्रत्येक सदस्य का रुझान मीडिया के अलग–अलग रूप के प्रति रहता है। पत्रकारिता के इन सभी रूपों को समग्रता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रिंट व विजुअल मीडिया के अपने कुछ मानक हैं, अपनी आचार संहिता है। किंतु, सोशल मीडिया को अभी इससे जोड़ना है। सीएम योगी ने कहा कि पत्रकारिता को आत्म–नियमन से मूल्यों व आदर्शों के साथ आगे बढ़ना है। भारत में 200 वर्ष की पत्रकारिता का मूलभाव राष्ट्र सेवा, समाज सेवा व 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' का भाव रहा है। हमें इसी भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया में एक ऐसा भी वर्ग है, जो समाज को गुमराह करके अशांति फैलाने का कार्य करता है। हमें मीडिया के ऐसे रूप से बचने की आवश्यकता है।

यदि सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में एक ही खबर में भिन्नता होती है, तो वह जन–मानस को विचलित करती है। यह दुविधा की स्थिति खतरनाक होती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं हो। सरकार मूल्यों व आदर्शों पर आधारित पत्रकारिता के साथ सदैव खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र संवाद से चलता है। संवाद में आलोचना हो सकती है, किंतु इस आलोचना को व्यक्तिगत रंजिश नहीं मानना चाहिए। जब हम एक सूत्र की मनोस्थिति से कार्य करते हैं, तो सदैव सार्थक परिणाम सामने आते हैं। पत्रकारिता समाज का आईना होती है। पत्रकारिता जिस दृष्टि से समाज के मुद्दों को प्रस्तुत करती है, समाज उसी दृष्टि से उसे समझता है। पत्रकारिता को जन–विश्वास प्रतीक के रूप में बने रहने के लिए सही और गलत के प्रति एक भाव में रहना चाहिए। पत्रकारिता में किसी भी मुद्दे पर दो भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब यह जन–विश्वास पर कुठाराघात करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकारिता ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती दी है। यह वर्ष हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता की शुरूआत 30 मई 1826 को कोलकाता से हुई थी, जब जुगुल किशोर शुक्ल ने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तण्ड का शुभारंभ किया था। जब उन्होंने पत्र निकाला, तब देश गुलाम था। उन्होंने देश की आजादी के स्वर को तेज करने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया था। 200 वर्ष से बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे पत्रकारिता की यह शानदार यात्रा आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता जब एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाती है, और सही तथ्यों को जनता के सम्मुख रखाती है, तब एक मजबूत जन–विश्वास का निर्माण होता है। जो पत्रकारिता जन–विश्वास का प्रतीक बनती है, उसे दुनिया की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। पत्रकारिता ने कठिन मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

सीएम योगी ने स्वतंत्रता आंदोलन और देशसेवा के लिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भी पत्रकारिता को माध्यम बनाने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ से 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' के नारे को पत्रकारिता के माध्यम से जन–मानस में संचारित किया था। वर्ष 2017 में इस नारे के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता का आधार हमारे उपनिषदों से प्रेरित रहा है। यह प्रेरणा उपनिषदों की 'सत्यमेव जयते' सूक्ति से प्राप्त होती है। समाज में विघटनकारी शक्तियों की चुनौती पत्रकारिता के सामने हमेशा रही है। ये शक्तियां पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बाधित करती रही हैं। इन बाधाओं से विचलित हुए बिना हमें इसको बढ़ाए रखना है, क्योंकि हमारी पत्रकारिता उपनिषदों के मूल्यों पर आधारित है, जहां सत्य की निश्चित विजय का भाव समाहित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपराध व अपराधियों तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को निरंतर जारी रखा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। सरकार ने पत्रकारों के लिए भी विभिन्न आवासीय योजनाएं चलाई हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तीन करोड की आबादी शिक्षा, व्यापार व रोजगार हेतु गोरखपुर महानगर पर निर्भर है। पूर्वी यूपी, पश्चिमी बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी गोरखपुर पर निर्भर रहती है। गोरखपुर में पत्रकारिता की दिशा, लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति के भाव को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पत्रकारिता को मजबूती के साथ आगे आना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की स्थापना 1998 में हुई। इसमें शामिल सदस्यों को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सानिध्य प्राप्त था। मुझे विगत वर्ष भी गोरखपुर प्रेस क्लब के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गोरखपुर प्रेस क्लब की स्थापना में अध्यक्ष के रूप में एसपी त्रिपाठी तथा सचिव के रूप में अरविन्द शुक्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सरकार द्वारा प्रेस क्लब को एक भव्य भवन दिया गया, जहां पत्रकारिता के कार्य को सुगमता से सम्पन्न किया जा रहा है।

समारोह में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी, उपाध्यक्ष धनेश कुमार, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री महेंद्र गौड़, कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव, पुस्तकालय मंत्री संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार मिश्रा, रजनीश त्रिपाठी और अजीत सिंह को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन प्रेस क्लब अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी ने, जबकि संचालन गजेंद्र त्रिपाठी और प्रेम पराया ने किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, मदन मोहन सिंह, विनीत सक्सेना, पीयूष बंका, दैनिक आज के अखिलेश चंद, आनंद जी वैश्य सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों की सहभागिता रही।

तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्चे की मौत

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें उपचार मेडिकल कालेज के चिकित्सालय रेफर कर दिया है। इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम चरखवा निवासी शाह आलम पुत्र शाह मोहम्मद अपने परिचित महफूज पुत्र मोहम्मद अली के साथ बाइक से इटवा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे करहिया पुल के पास पहुंचे, डुमरियागंज की दिशा से आ रही अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जा गिरे। इसी दौरान कार ने पास से गुजर रही दूसरी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया।

दूसरी बाइक पर सवार प्रदीप पुत्र भुलावन तथा पार्वती पत्नी भुलावन भी हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में कुल चार लोग घायल हुए, जिनमें शाह आलम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा पहुंचाया।

चिकित्सकों ने महफूज और पार्वती की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज के अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि प्रदीप का उपचार स्थानीय स्तर पर चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो–रोकर बुरा हाल रहा।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम–11 (1)
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना
अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 514/2025
थाना–सोनहा
जिला–बस्ती
श्रीमती मिथलेश आदि
बनाम
विनोद कुमार उर्फ गुडडू उर्फ बबलू
1– विनोद कुमार उर्फ गुडडू उर्फ बबलू उम्र लगभग 48 साल पुत्र चन्द्रबली गुप्ता निवासी ग्राम बरॉव नानकार पोस्ट बरॉव थाना गोल्हौरा जिला सिद्धार्थनगर हाल मुकाम ग्राम वो पोस्ट महुआ कला पेट्रोल पम्प के सामने थाना गोल्हौरा जिला सिद्धार्थ नगर

तारीख पेशी 10–04–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 10 मास 04 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–111/2026
राजेश कुमार शुक्ला, एडवोकेट
बनाम
श्री आलोक कुमार शुक्ला एडवोकेट आदि
1. श्री आलोक कुमार शुक्ला एडवोकेट उम्र लगभग 55 वर्ष स्वामी/प्रकाशक/ मुद्रक एवं सम्पादक 'विश्व उत्कर्ष राष्ट्रीय समाचार पत्रिका', 'लक्ष्य दर्पण दैनिक समाचार पत्र' एवं 'डी०एल०डी० न्यूज', सम्पादकीय / प्रशासनिक कार्यालय पता– बी/बी–69, केशव विहार, कल्याणपुर, लखनऊ, मण्डलीय कार्यालय पता मण्डल बस्ती, शिवनगर तुरकहिया, गांधीनगर, बस्ती स्थायी निवासी पुत्र स्व० श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, निवासी ग्राम शिवनगर तुरकहिया, तप्पा देवरांव, परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती।
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
02. सिविल बार एसोसियेशन, बस्ती द्वारा महामंत्री 03. महामंत्री, सिविल बार एसोसियेशन, बस्ती 04. अध्यक्ष, सिविल बार एसोसियेशन, बस्ती स्थान सिविल बार एसोसियेशन, बस्ती।
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 24–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 24 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

डीएम ने 12 अधिकारियों का अप्रैल का वेतन रोका

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर अधिकारियोंध्कर्मचारियों के पंजीकरण और प्रशिक्षण की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी (डीपीआरओ) सहित कुल 12 अधिकारियों का अप्रैल माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। यह समीक्षा बैठक जिले के सभी विभागों के शत–प्रतिशत अधिकारियोंध्कर्मचारियों के आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण प्राप्त करने और निर्धारित कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के संबंध में आयोजित की गई थी। मिशन कर्मयोगी के तहत 02 अप्रैल से 08 अप्रैल तक श्साधना सप्ताहश के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना था। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मार्केटप्लेस से संबंधित उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से कम से कम तीन पाठ्यक्रम पूरे कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आईजीओटी मार्केटप्लेस से संबंधित पाठ्यक्रमों पर ध्यान देने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विकासखंडों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभियान चलाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराएं और उन्हें इसके लाभों के बारे में जानकारी दें। वेतन बाधित किए गए अधिकारियों में जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला कृषि अधिकारी शामिल हैं।

सोनवल में गेहूं की क्रॉप कटिंगः 38.45 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार दर्ज, डीएम भी मौके पर रहे मौजूद

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। रबी फसल के उत्पादन का सटीक आकलन करने के उद्देश्य से सोमवार को तहसील नौगढ़ के विकास खंड नौगढ़ स्थित ग्राम पंचायत सोनवल में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन स्वयं मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए उत्पादन का आकलन कराया।

क्रॉप कटिंग कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और वैज्ञानिक पद्धति से संपन्न कराए जाएं। इसका उद्देश्य फसल उत्पादन का वास्तविक आकलन सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़े न केवल वर्तमान उत्पादन स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि भविष्य की कृषि नीतियों और योजनाओं के निर्माण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से सुना। किसानों ने सिंचाई, उर्वरकों की उपलब्धता, बीज की गुणवत्ता और मौसम संबंधी चुनौतियों पर अपनी बात रखी। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने, समय पर सिंचाई करने, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे गांव–गांव जाकर किसानों को नई तकनीकों, फसल प्रबंधन के तरीकों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की नियमित जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक किसान उनका लाभ उठा सकें।

क्रॉप कटिंग ग्राम पंचायत सोनवल के गाटा संख्या–92 पर किसान अंजनी पत्नी गिरधारी के खेत में की गई। इस खेत का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर था। इस दौरान 16.550 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन प्राप्त हुआ। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गणना करने पर 38.450 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार दर्ज की गई, जो क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करता है।

इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा स्थानीय किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। क्रॉप कटिंग की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न कराया गया, जिससे प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय और उपयोगी सिद्ध हो सकें।

सूचना के अधिकार पर जागरूकता अभियानः राज्य सूचना आयुक्त अधिकारी ने दिए अहम निर्देश

संवाददाता–संतकबीरनगर। सांथा विकास खंड के राम नरेश चौधरी कृषक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमवापुर सरकारी में सोमवार को जन सूचना अधिकार अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

कार्यालय ग्राम पंचायत पुरैना वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पुरैना** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पुरैना** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पुरैना** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पुरैना** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पुरैना** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(तवस्सुम) प्रधान, ग्राम पंचायत–**पुरैना**
(अखिलेश कुमार शुक्ल) सचिव, ग्राम पंचायत–**पुरैना**

वित्तीय अनियमितता पर प्रधान के अधिकार सीज

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता के आरोप में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने डुमरियागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत वासा चक के ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। अब ग्राम पंचायत का संचालन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। यह कार्रवाई मनरेगा के तहत कराए गए चार विकास कार्यों में कुल 7,66,119 रुपये की वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई है।

यह मामला ग्राम पंचायत वासा चक में मनरेगा के तहत हुए कार्यों से जुड़ा है। गांव निवासी अदनान अहमद की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर एक जिला स्तरीय टीम गठित कर जांच कराई गई थी। जांच टीम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी और डीआरडीए के सहायक अभियंता शामिल थे। टीम ने मौके पर जाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया। जांच में वित्तीय अनियमितता की स्पष्ट पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया, जिसके कारण जवाब को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया गया।

इसके बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी। साथ ही, इस प्रकरण की आगे की जांच के लिए परियोजना निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी, डुमरियागंज को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के सुचारु संचालन के लिए निर्वाचित सदस्यों में से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। इस समिति के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं, वर्तमान सचिव के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
इजरा वाद सं0 49/2017
मूलवाद सं0–442/1991
झकड़ी
बनाम
कमाल उर्फ कमला आदि
1/1 हृदयराम उम्र लगभग 69 वर्ष पुत्र कम्मल उर्फ कमाला 1/2 गेना देवी उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्री कम्मल उर्फ कमाल 1/3 दर्शना देवी पुत्री कम्मल उर्फ कमाल साकिनान मौजा सेखापुर तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती
–रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग

तारीख पेशी 13–05–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 13 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–601/2025
रामकिशोर आदि
बनाम
तीरथ राज सैनी उर्फ पप्पू सैनी आदि
1–तीरथ राज सैनी उर्फ पप्पू सैनी आयु 55 वर्ष पुत्र स्व० खेदू प्रसाद 2– गीता देवी आयु 38 वर्ष पत्नी स्व0 कृष्णचन्द्र सोनी 3– निर्मला देवी आयु 42 वर्ष पत्नी सुबाष सैनी 4–सुनील सैनी आयु 35 वर्ष खेदू प्रसाद 5–प्रदीप सैनी आयु 32 वर्ष 6– संदीप सैनी आयु 30 वर्ष पुत्रगण खेदू प्रसाद सैनी 7– माधुरी सैनी आयु 28 वर्ष पत्नी अनिल सैनी निवासीगण माली टोला, मंगल बाजार, बस्ती खास, तप्पा–हवेली, परगना बस्ती पूरब, तहसील वो जिला–बस्ती।

तारीख पेशी 04–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com